

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2012

जयपुर, दिनांक 05 मार्च, 2012

परिपत्र

वित्त विभाग द्वारा जारी मितव्ययता परिपत्र क्रमांक प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2010 दिनांक 30.06.2010 के बिन्दु संख्या 2, जो राजकीय यात्राओं से संबंधित है, को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"अपरिहार्य कारणों से राज्य हित में कार्यक्षेत्र के बाहर, राज्य के अन्दर राजकीय वाहन से यात्रा करने के लिए विभागाध्यक्ष स्वयं सक्षम होंगे। विभागाध्यक्ष से नीचे के अधिकारियों द्वारा उनके कार्य क्षेत्र से बाहर, राज्य के अन्दर राजकीय वाहन से यात्रा करने की अनुमति प्रदान करने के लिए संबंधित प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव सक्षम होंगे। जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नियंत्रणाधीन अधिकारी संबंधित सम्भागीय आयुक्त/ महानिरीक्षक पुलिस रैंज की अनुमति से ऐसी यात्रा कर सकेंगे। ऐसे अधिकारी जो वायुयान से यात्रा करने के लिए अधिकृत हैं, राजकीय कार्य हेतु दिल्ली जाने के लिए राजकीय वाहन का उपयोग कर सकेंगे। इन सभी यात्राओं के लिए यात्रा कार्यक्रम का अनुमोदन संबंधित नियंत्रण अधिकारी से कराया जाना आवश्यक होगा।"

(अध्यक्ष अयोरा)

शासन सचिव, वित्त (खजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
- 2- प्रमुख सचिव/ सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
- 3- निजी सचिव, मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण/ संसदीय सचिव, राजस्थान, जयपुर
- 4- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव
- 6- समस्त विशेषाधिकारी/ उप शासन सचिव, वित्त विभाग
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
- 8- समस्त कोषाधिकारी
- 9- प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को सात अतिरिक्त प्रतियों सहित
- 10- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
- 2- रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 4- सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर
- 5- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(अध्यक्ष अयोरा)

निदेशक, वित्त (खजट)

[6/2012]




अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पुराना पावर हाउस, हाथी भाटा, जयपुर रोड़, अजमेर

क. संख्या/मु.ले.अं.(रा.एवं नि.)/स.ले.अ.(नियम)/प.10/ प्रें. 454 दिनांक 24.4.2012.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ता (), अ.वि.वि.नि.लि.
2. मुख्य लेखाधिकारी () अ.वि.वि.नि.लि.
3. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर।
4. संभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी () अ.वि.वि.नि.लि.
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी () अ.वि.वि.नि.लि.
6. अधीक्षण अभियन्ता (), अ.वि.वि.नि.लि.
7. अधीक्षण अभियन्ता (आई. टी), अ.वि.वि.नि.लि अजमेर। कृपया , इस आदेश को अ.वि. वि.नि.लि /रूल्स क्रमांक अंकित करते हुये अजमेर डिस्काम की वेबसाईट पर अपटैड करें।
8. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि. /रा.रा.वि.प्र.नि.लि., अजमेर/जयपुर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर ।
10. उप निदेशक कार्मिक (), अ.वि.वि.नि.लि.
11. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर/जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक (वित्त/तकनीकी), अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर
13. लेखाधिकारी /सहायक लेखाधिकारी (), अ.वि.वि.नि.लि.
14. कार्मिक अधिकारी, (), अ.वि.वि.नि.लि.
15. जनसम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि अजमेर ।



(एम. के. जैन)
मुख्य लेखाधिकारी (रा.एवं नि.)
अ.वि.वि.नि.लि.अजमेर